भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1103

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

†1103. श्री विजय कुमार हाँसदाकः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में जन स्वास्थ्य की समग्र स्थिति, रुग्णता दर और अपनी जेब से होने वाले व्यय के संबंध में हाल ही में हुए 80वें दौर के स्वास्थ्य और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सर्वेक्षण में संक्रामक रोगों से मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर-संचारी जीवन शैली संबंधी बीमारियों की ओर महत्वपूर्ण जानपदिक रोग विज्ञान परिवर्तन का उल्लेख किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय आवंटन और विस्तार लक्ष्यों तथा आयुष्मान भारत वय वंदना योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किए जाने का देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश भर में कुल कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र और प्रधान मंत्री भारती जन औषधि केन्द्र चलाए जा रहे हैं; और

(ङ) सभी के लिए स्वास्थ्य रोडमैप के अंतर्गत सार्वभौमिक, उच्च गुणवत्ता और वहनीय स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सहित नीतिगत उपायों और डिजिटल अवसंरचना उन्नयन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) और (ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 80वें दौर के अंतर्गत जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025 के दौरान घरेलू सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य संबंधी नवीनतम सर्वेक्षण आयोजित किया। यह रिपोर्ट दिनांक 20.04.2026 को जारी की गई और मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष अनुलग्नक-I में संलग्न हैं।

एनएसएस के 80वें दौर के निष्कर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

में की गई टिप्पणियों के भी अनुरूप हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत महामारी-विज्ञान संबंधी संक्रमण (एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांज़िशन) के दौर से गुजर रहा है। एनएसएस के 80वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 -18 और 2025 के बीच रिपोर्ट किए गए संक्रामक रोगों की व्याप्तता में कमी आई है, जबकि इसी अवधि में रिपोर्ट किए गए दीर्घकालिक (क्रॉनिक) और गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले कुछ दशकों में भारत में संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 1970-75 में 49.7 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2020-24 में 70.6 वर्ष हो गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण हेतु कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत देशभर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन विकास, जांच, शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार तथा स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित है। एनपी-एनसीडी के तहत देशभर में 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6,410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तथा मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर जैसे सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए जनसंख्या-आधारित पहल पूरे देश में लागू की गई है। इस पहल के अंतर्गत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उनकी जांच और प्रबंधन के लिए लक्षित किया जाता है।

(ग) से (ङ): भारत सरकार की एक प्रमुख योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई), आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क और नकदी रहित स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ प्रदान करने के लिए 23 सितंबर, 2018 को शुरू की गई थी।

यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है, जो मध्यम और विशिष्ट स्तर के अस्पताल में भर्ती होने पर परिचर्या के लिए भारत की जनसंख्या के निचले 40% का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 करोड़ परिवारों को उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, मार्च, 2024 में, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्मी (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडबल्यूडबल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडबल्यूएच) के लगभग 37 लाख परिवारों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। अक्टूबर, 2024 में, इस योजना का और विस्तार किया गया ताकि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिको, जो 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित हैं, उन को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति देखे बिना इस योजना का लाभ मिल सके। 30 जून, 2026 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत कुल 44.19 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिनमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1.26 करोड़ आयुष्मान वय वंदना कार्ड शामिल हैं। एबी पीएम-जेएवाई और आयुष्मान वय वंदना के अंतर्गत बनाए गए आयुष्मान कार्डों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण https://dashboard.nha.gov.in/public/card लिंक पर देखा जा सकता है।

कुल ₹39,837.52 करोड़ की राशि एबी पीएम-जेएवाई के शुरू होने से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई है। एबी पीएम-जेएवाई के अंतर्गत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधि का विवरण अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पहल, जिसे पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, आयुष्मान भारत योजना का पहला स्तंभ है और भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को

रूपांतरित करने का सभी नागरिकों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए एक प्रमुख घटक है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एएएम पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 तक भारत में कुल 1,86,298 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) संचालित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत, जन औषधि केंद्र (जेएके) के नाम से समर्पित आउटलेट देशभर में खोले जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2026 तक पूरे देश में कुल 20,149 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले जा चुके हैं।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) भारत सरकार द्वारा सितंबर, 2021 में एक एकीकृत, नागरिक-केंद्रित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र के विकास को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया था। एबीडीएम के अंतर्गत, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, स्वास्थ्य सेवा व्यवसायी, व्यक्तियों आदि के लिए समान स्वास्थ्य डेटा मानक और रजिस्ट्रियाँ स्वास्थ्य संबंधी लेन-देन में अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करते है। एबीडीएम द्वारा निर्मित डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या के बीच निर्बाध रूप से परिचर्या की निरंतरता का समर्थन करता है।

दिनांक 24.07.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1103 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

घरेलू सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण के निष्कर्षों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

- सर्वेक्षण की तिथि से पहले के विगत 365 दिनों के दौरान अस्पताल में भर्ती होने के मामलों (अर्थात ऐसे दृष्टांत जब व्यक्तियों ने अंतरंग रोगी उपचार प्राप्त किया) की औसत संख्या 2.9% थी। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों (2.7%) की तुलना में शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों (3.2%) की अधिक अस्पताल में भर्ती होने की सूचना प्राप्त हुई।
- बीमारी की सूचना देने वाले व्यक्तियों का सर्वाधिक अनुपात 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग (43.9%) में देखा गया, इसके बाद 45–59 वर्ष आयु वर्ग (22.5%) और 0–4 वर्ष आयु के बच्चों (9.9%) का स्थान रहा।
- सर्वेक्षण की तिथि से पूर्व के विगत 15 दिनों के दौरान लगभग 13.1% व्यक्तियों ने बीमारी (स्वयं को अस्वस्थ बताया) की सूचना दी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों (12.2%) की तुलना में शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों (14.9%) ने अधिक संख्या में बीमारी की सूचना दी।
- पिछले 365 दिनों की अवधि के दौरान लगभग सभी प्रसव (लगभग 96.2%) संस्थागत थे। ग्रामीण क्षेत्रों में 95.6% प्रसव संस्थाओं में हुए, जबकि केवल 4.4% प्रसव घर पर हुए। शहरी क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 97.8% था, जबकि केवल 2.2% प्रसव घर पर हुए।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रसव-पूर्व परिचर्या तक लगभग सार्वभौमिक पहुँच (98%) देखी गई। प्रसवोत्तर परिचर्या की रिपोर्टिंग भी सुदृढ़ रही, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 92% और शहरी क्षेत्रों में 95% थी।
- गैर-संचारी रोग जैसे हृदय एवं रक्तवाहिका संबंधी रोग (उच्च रक्तचाप) तथा अंतःस्रावी/चयापचय संबंधी रोग (मधुमेह), 30 वर्ष की आयु के बाद सबसे अधिक रिपोर्ट किए गए।
- भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज वर्ष 2017–18 (ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 14% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 19%) से बढ़कर वर्ष 2025 में (ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 47% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 44%) हो गया है।
- पिछले 365 दिनों के दौरान प्रति अस्पताल में भर्ती मामले (प्रसव को छोड़कर) पर औसत अनुमानित जेबी चिकित्सा व्यय लगभग ₹34,064 (ग्रामीण क्षेत्रों में ₹31,484 और शहरी क्षेत्रों में ₹38,688) था, जबकि माध्यिका (मीडियन) जेबी चिकित्सा व्यय लगभग ₹11,285 (ग्रामीण क्षेत्रों में ₹10,500 और शहरी क्षेत्रों में ₹12,400) था।
- सार्वजनिक अस्पतालों में, पूरे भारत के स्तर पर प्रति अस्पताल-भर्ती मामलों (प्रसव को छोड़कर) पर औसत व्यय ₹6,631 था, जबकि सार्वजनिक अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने वाले अस्पताल-भर्ती मामलों में से आधे में ₹1,100 या उससे कम का खर्च हुआ।

दिनांक 24.07.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1103 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक -II

एबी पीएम-जेएवाई के तहत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधि
(योजना की शुरुआत से 30 जून 2026 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधि (करोड़ रुपए में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.72
आंध्र प्रदेश	3047.11
अरुणाचल प्रदेश	29.76
असम	1568.99
बिहार	2117.31
चंडीगढ़	48.22
छत्तीसगढ़	1845.04
दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	35.35
दिल्ली	59.25
गोवा	7.93
गुजरात	2548.02
हरियाणा	793.62
हिमाचल प्रदेश	323.50
जम्मू और कश्मीर	430.74
झारखंड	1095.83
कर्नाटक	3237.67
केरल	1153.94
लद्दाख	11.44
लक्षद्वीप	0.99
मध्य प्रदेश	3812.41
महाराष्ट्र	3281.30
मणिपुर	190.20
मेघालय	287.79
मिज़ोरम	168.21
नागालैंड	157.57
पुडुचेरी	34.49
पंजाब	691.10

राजस्थान	2563.15
सिक्किम	26.30
तमिलनाडु	3335.13
तेलंगाना	917.91
त्रिपुरा	322.78
उत्तर प्रदेश	4468.56
उत्तराखंड	443.88
ओडिशा	744.02
पश्चिम बंगाल	31.28
